रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022025-260988
CG-DL-E-13022025-260988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

**सा.का.नि. 134(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही हैः—

यतः मुझे, भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु, को मणिपुर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा मुझे प्राप्त रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात्, ''संविधान'' कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः, अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उद्घोषणा करती हूं कि मैं—

(क) मणिपुर राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रुप में स्वयं संभालती हूं;

(ख) घोषित करती हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करती हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर मेरे द्वारा संभाले गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलंबित किया जाता है, अर्थात्:–

अनुच्छेद 3 के परंतुक का उतना भाग, जितने का सम्बंध राष्ट्रपति द्वारा उक्त राज्य के विधान मंडल को निर्देश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सम्बंध भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सम्बंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच आवंटन से है;

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का सम्बंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1), तथा खंड (2) का उपखंड (क);

अनुच्छेद 175 से अनुच्छेद 178 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 179 के खंड (ख) तथा (ग) तथा उसके प्रथम परंतुक;

अनुच्छेद 180,181, 188, 189, 193, 194, 196 तथा 198; अनुच्छेद 199 के खंड (3) तथा खंड (4);

अनुच्छेद 208 से अनुच्छेद 211 तक (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 का खंड (1) का परंतुक तथा खंड (3) का परंतुक; तथा

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितनें का सम्बंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखें जाने से है;

(iii) संविधान में, राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उक्त राज्य के सम्बंध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल के किसी निर्देश का, जहां

तक उसका सम्बंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल के निर्देशों का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा ;

परंतु इसमें की गई कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (i) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेंगी ;

(iv) संविधान में उक्त राज्य के विधान मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और मणिपुर साधारण खंड अधिनियम, 1966 (1966 का मणिपुर अधिनियम 3), जिस रुप में मणिपुर राज्य में लागू है, और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उतना भाग, जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो वह उक्त राज्य के विधान मंडल का अधिनियम है।

नई दिल्ली,
तारीख 13 फरवरी, 2025

—ह—
द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति

---

[फा. सं. 11013/01/2025—सीएसआर—I]
गोविंद मोहन, गृह सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th February, 2025

**G.S.R. 134(E).—**The following Proclamation by the President is published for general information:—

Whereas, I, Droupadi Murmu, President of India, have received a report from the Governor of the State of Manipur and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as the Constitution);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I –

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the State of Manipur and all powers vested in or exercisable by the Governor of the that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:-

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying, before the Legislature of the State, of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso thereto;

articles 180,181, 188, 189, 193, 194, 196 and 198; clauses (3) and (4) of article 199;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1), and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed unless the context otherwise requires, as a reference to the Parliament, and in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as she thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Manipur General Clauses Act, 1966 (Manipur Act 3 of 1966), as in force in the State of Manipur, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi;

The 13th February, 2025.

-Sd-

DROUPADI MURMU

President

---

[F. No. 11013/01/2025-CSR-1]

GOVIND MOHAN, Home Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2025

**सा.का.नि. 135(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में, मैं निदेश देती हूं कि मणिपुर राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वंय संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,
तारीख 13 फरवरी, 2025

—ह—
द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति

[फा. सं. 11013/01/2025—सीएसआर—I]
गोविंद मोहन, गृह सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 13th February, 2025

**G.S.R. 135(E).—**The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 13th day of February, 2025, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Manipur and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi;
The 13th February, 2025.

-Sd-
DROUPADI MURMU
President

[F. No. 11013/01/2025-CSR-1]
GOVIND MOHAN, Home Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.13 19:16:17 +05'30'